

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 03/2022

दायर दिनांक 10.01.2022

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. तहसीलदार डीडवाना जिला-नागौर, राजस्थान।		1. रामनिवास पुत्र खुमाराम जाति जाट निवासी दुदोली तहसील डीडवाना जिला नागौर वगैराह।

प्रार्थना पत्र बाबत

चालू स्थाई सार्वजनिक रास्तों का रेकॉर्ड में अंकन बाबत  
राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम- 58, 59, 60, 66, 86  
अन्तर्गत धारा 131, 132 L.R.Act.


--: निर्णय :-

दिनांक 17.06.2022

तहसीलदार डीडवाना ने राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प3(2)राज-6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.08.2016 के संदर्भ में आपने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2022/38 दिनांक 07.01.2022 के द्वारा ग्राम- दुदोली पटवार मण्डल-पालोट भू0अ0 निरीक्षक कोलिया खेत खसरा सं0 288, 252, 258, 1125/259, 1126/259, 237, 234, 235, 223 की सरहद में संलग्न सूची के अनुसार चालू स्थाई सार्वजनिक रास्तों का जमाबन्दी एवं नक्शे में अंकन किये जाने बाबत पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया।


राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प3(2)राज-6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.08.2016 के अनुसार ऐसे चालू रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के प्रावधानानुसार तहसीलदार के प्रार्थना पत्र पर किया जायेगा। अप्रार्थीगण हरदयाल, तनाराम, भंवर कंवर पत्नी सज्जनसिंह, कानसिंह, भंवर कंवर पत्नी रतनसिंह, रतन सिंह, धापु कंवर, शेरसिंह, श्रवणसिंह, गिरवरसिंह, शिवराजसिंह, राजेन्द्रसिंह, रूकमणी देवी, भागुराम, नारायणराम, नन्दाराम, तेजाराम, मुकनाराम, रामनिवास, बावजुद तामील के अनुपस्थित। अतः इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

तहसीलदार डीडवाना ने राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प3(2)राज-6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.08.2016 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश किया है। राज्य सरकार के परिपत्र के संदर्भ में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर संलग्न सूची व ट्रेस नक्शे के अनुसार दुदोली पटवार मण्डल-पालोट भू0अ0 निरीक्षक कोलिया खेत खसरा सं0 288, 252, 258, 1125/259, 1126/259, 237, 234, 235, 223 का राजस्व रेकॉर्ड में अंकन किया जावे।

  
(कार्तिकेय मीणा)  
R.A.S.  
सहायक कलक्टर  
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 17.06.2022 को सरे इजलास में सुनाया गया।



  
( कार्तिकेय मीणा )  
R.A.S.  
सहायक कलक्टर  
डीडवाना

